झारखण्ड उच्च न्यायालय ,रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 3763/2022

1. शारदा नंद चौबे, उम्र -लगभग 80 वर्ष ,पिता- स्वर्गीय इंद्रमणि चौबे।
2. ब्रह्मा नंद चौबे, उम्र -लगभग 70 वर्ष, पिता- स्वर्गीय इंद्रमणि चौबे
3. पवन कुमार चौबे, उम्र -लगभग 46 वर्ष, पिता- शारदा नंद चौबे
4. बबलू चौबे @पंकज कुमार चौबे, उम्र -लगभग 35 वर्ष, पिता- ब्रह्म नंद चौबे।
5. छकू चौबे @ श्रवण कुमार चौबे, उम्र- लगभग 40 वर्ष, पिता- ब्रह्म नंद चौबे।

सभी निवासी- ग्राम और डाकघर -केतात ,थाना-- रेहला, जिला -पलामू

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. ललित कुमार चौबे, पिता- स्वर्गीय सुशील कुमार चौबे, निवासी-ग्राम -केतात ,थाना - रेहला, जिला -पलामू

....विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री शेओ कुमार सिंह ,अधिवक्ता
श्री आर.एन .चटर्जी ,अधिवक्ता
श्री युवराज सिंह ,अधिवक्ता
श्री रिद्य मुखर्जी ,अधिवक्ता

राज्य के लिए: :श्री सतीश प्रसाद,अतिरिक्त लोक अभियोजक
विपक्षी संख्या 2 के लिए: श्री नीलेंदु कुमार ,अधिवक्ता

उपस्थित
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। आपराधिक संशोधन संख्या 97/2015 में डाल्टनगंज में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 26.02.2018 के आदेश को रद्द करने और दिनांक 29.06.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए एक अनुरोध के साथ जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत शिकायत मामले संख्या 585/2014 के संबंध में संज्ञान भारतीय दंड सहिंता की धारा 423/420/467/468/471/143/147/447/323/342/504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने शिकायतकर्ता- सूचक की भूमि अभियुक्त राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे से खरीदी , हालांकि राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे को याचिकाकर्ता संख्या 1और 2 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था, और 16.12.2012 को धारदार हथियारों से लैस याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के खेती के काम में बाधा डाली और उसके साथ मारपीट करने की धमकी दी और उसके साथ हाथापाई की।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2009) 8 एससीसी 751 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं जिसका अनुच्छेद 8 में रिपोर्ट किया गया, निम्नानुसार हैः

"8. इस न्यायालय का बार-बार इस प्रवृति की और धयान आकर्षित किया है जो अनिवार्य रूप से और विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति के मामलों को आपराधिक अपराध का आवरण देने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से या तो अभियुक्त पर दबाव डालने के लिए, या अभियुक्त के प्रति शत्रुता से, या अभियुक्त को उत्पीड़न के अधीन करने के लिए। आपराधिक अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके समक्ष की कार्यवाही का उपयोग मामलों के निपटारे के लिए या दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाए। लेकिन साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नागरिक प्रकृति के कई विवादों में आपराधिक अपराधों के तत्व भी शामिल हो सकते हैं और यदि ऐसा है, तो उन पर आपराधिक अपराधों के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, भले ही वे नागरिक विवादों के बराबर हों।)देखें जी .सूरी बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश)]2000) 2 एससीसी 636:2000 एससीसी (सीआरआई) 513] और इंडियन ऑयल कारपोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड)] 2006) 6 एससीसी 736: (2006) 3 एससीसी (सीआरआई.) 188]) आइए हम उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करें।"

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में निर्विवाद रूप से राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे दावा कर रहे हैं कि दी गई संपत्ति उनकी संपत्ति है और किसी भी प्रतिरूपण का कोई आरोप नहीं है, इसलिए राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे को विश्वास था कि उनके द्वारा याचिकाकर्ताओं को बेची गई संपत्ति वास्तव में उनकी है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 संपत्ति के खरीदार हैं इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 423/420/467/468 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित तथ्य बना हुआ है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 द्वारा खरीदी जाने के बाद संपत्ति को उनके नाम में परिवर्तित किया गया है और उनके पक्ष में सुधार पर्ची जारी की गई है, जिसकी प्रति संक्षिप्त के पृष्ठ 89 और 94 के रूप में रखी गई है, जो निर्विवाद चरित्र के दस्तावेज हैं, जो अंचल अधिकारी, विश्रामपुर अंचल द्वारा जारी संबंधित सुधार पर्ची की प्रमाणित प्रति है।

5. जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 143/147 के तहत दंडनीय अपराधों का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 143 और 147 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए, आवश्यक घटक यह है कि आरोपी एक गैरकानूनी सभा का सदस्य है और सभा का सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड सहिंता की धारा 141 में निर्दिष्ट पांच अपराधों में से एक है जो इस प्रकार हैः

"धारा 141: गैरकानूनी सभा-पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा को "गैरकानूनी सभा" नामित किया जाता है, यदि उस सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है-पहला-आपराधिक बल, या आपराधिक बल का प्रदर्शन, केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल, या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का प्रयोग करते हुए; या दूसरा-किसी कानून के निष्पादन या किसी कानूनी प्रक्रिया का विरोध करना; या तीसरा-कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करना; या चौथा-आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को लेने या प्राप्त करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार का आनंद लेने से वंचित करने के लिए, या पानी या अन्य अमूर्त अधिकार का उपयोग करने के लिए जिसका वह कब्जा या आनंद में है, या किसी भी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करने के लिए; या पांचवां-आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करने के लिए जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या वह करने के लिए छोड़ देता है जो वह कानूनी रूप से करने का हकदार है। स्पष्टीकरण-एक सभा जो इकट्ठा होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उनका भारतीय दंड सहिंता की धारा 141 में निर्दिष्ट पांच अपराधों में से किसी एक को करने या करने का कोई सामान्य उद्देश्य था और न ही ऐसा कोई आरोप है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी किसी गैरकानूनी सभा के उद्देश्य के बारे में पता था, इसलिए इसके अभाव में, न तो धारा 143 के तहत दंडनीय अपराध और न ही भारतीय दंड सहिंता की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अतिचार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए आपराधिक अतिचार की धारा 447 के तहत अपराध है। सूचना देने वाले-शिकायतकर्ता को चोट पहुँचाने के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी आरोप के अभाव में; भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसी प्रकार, किसी को भी गलत तरीके से सीमित करने के याचिकाकर्ताओं के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति; भारतीय दंड सहिंता की धारा 342 के तहत दंडनीय अपराध किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनाया गया है। जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और ए .एन .आर., (उपर्युक्त (के मामले में फैसले के पैराग्राफ 29 में उल्लेख किया गया है। जो निम्नानुसार हैः

दंड संहिता की धारा 504I

.29"शिकायत में लगाए गए आरोप दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध के घटकों को भी नहीं बताते हैं। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान को संदर्भित करती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने बिक्री विलेखों के बारे में अभियुक्त 1 और 2 से पूछताछ की, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वे बिक्री विलेखों के तहत भूमि का कब्जा प्राप्त करेंगे और वह जो चाहे कर सकता है। अपीलार्थी 1 और 2 के कथन के अनुसार, इसे" शांति भंग करने के इरादे से अपमान "नहीं कहा जा सकता है। अभियुक्त का कथन, भले ही वह सत्य हो, केवल एक कथन था जो प्रथम अपीलार्थी द्वारा दूसरे अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय विलेखों के निष्पादन के परिणाम का उल्लेख करता था।" शिकायत में आरोप भारतीय दंड सहिंता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को नहीं बनाता है।"

6. तब यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने

शिकायतकर्ता-सूचक पर हमला करने की धमकी दी और यह आरोप, भले ही पूरी तरह से सच माना जाए, भारतीय दंड सहिंता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे के वास्तविक दावे के मद्देनजर कि वे विचाराधीन भूमि के मालिक हैं, जिसे उनके द्वारा बेचा गया था और किसी भी आरोप के अभाव में कि उन्होंने किसी और के लिए प्रतिरूपण किया था, भारतीय दंड सहिंता की धारा 467,468,471,424,423 के तहत दंडनीय अपराध भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनाए गए हैं, विशेष रूप से, क्योंकि भूमि का निपटान पहले ही याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पक्ष में किया जा चुका है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 द्वारा उसी की खरीद के बाद उत्परिवर्तन द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को सुधार पर्ची जारी की गई है और इस आपराधिक विविध याचिका में भी दायर की गई है।

7. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि शिकायतकर्ता-सूचक ने शिकायत मामला संख्या 2013/313 और उसी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेजा गया था और पुलिस ने मामले की जांच के ठीक बाद, याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के लिए नहीं भेजा और अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि पक्षों के बीच विवाद एक भूमि से संबंधित है जो मूल रूप से एक नागरिक विवाद है; लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने विपक्ष के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री पाई। विपक्षी संख्या 8 अर्थात् राहुल कुमार चौबे को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और 465 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए, परंतु डाल्टनगंज के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, II पलामू ने दिनांक 26.02.2018 के आदेश द्वारा दिनांक 2015/08/07 के आदेश को रद्द कर दिया और विद्वान् जे .एम .एफ .सी., पलामू को शिकायत प्रकरण सं .5852014/, में नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

8. यह की याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानूनी रूप से कोई अपराध नहीं बनाया गया है, फिर भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2022 को शिकायत मामला सं/585 .2014, जो कि पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् फाइल की गई एक विरोध याचिका थी, ने अपराधों का संज्ञान लिया है, जैसा कि पहले ही ऊपर इंगित किया गया है, लेकिन वही विधि में टिकाऊ नहीं है, इसलिए विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा दिनांक 26.02.2018 को पारित आदेश आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 97/2015 में पारित किया गया और आदेश दिनांक 29.06.2022 को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा शिकायत प्रकरण सं .585/2014 को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

9. विद्वान् अतिरिक्त लोक अभियोजक और विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ताओं ने और विपक्ष के विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 97/2015 में पारित आदेश आदेश दिनांक 26.02.2018 को निरस्त करने और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा शिकायत प्रकरण सं .585/2014 और प्रस्तुत किया की ,कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप अपराधों का गठन करने के लिए पर्याप्त हैं-जिसका संज्ञान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहआपराधिक विविद याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए।

10. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई गलत दस्तावेज बनाने या किसी भी झूठे दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करने का कोई आरोप नहीं है और न ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए किसी भी जाली दस्तावेज का उपयोग करने का आरोप है, इसलिए भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पूरी तरह से सही माने जाएं, फिर भी भारतीय दंड सहिंता की धारा 467,468,471 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाए गए हैं। जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 और 423 के तहत अपराधों का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी को धोखा देने या किसी को भी किसी संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए बेईमानी से प्रेरित करने का कोई आरोप नहीं है; जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध भी नहीं बनाया जाता है; भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाए।

11. जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 423 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झूठे बयानों वाले किसी भी स्थानांतरण विलेख के निष्पादन का कोई आरोप नहीं है, बल्कि उक्त आरोप सह आरोपी राहुल कुमार चौबे और रोहित कुमार चौबे के खिलाफ है, इसलिए भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पूरी तरह से सही माने जाते हैं, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 423 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

12. जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 143 और 147 के तहत दंडनीय अपराधों का संबंध है, भारतीय दंड सहिंता की धारा 141 के तहत उल्लिखित अपराधों में से किसी को भी करने के किसी भी आरोपी के खिलाफ सामान्य उद्देश्य के किसी भी आरोप के अभाव में, इस अदालत को यह निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप भारतीय दंड सहिंता की धारा 143 और 147 के तहत दंडनीय अपराधों का गठन करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भी उक्त अपराध नहीं बनाए गए हैं।

13. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अतिचार के आरोप के अभाव में, भारतीय दंड सहिंता की धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनाया गया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के किसी भी आरोप के अभाव में और एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने चोट पहुँचाने की धमकी दी थी, इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, भारतीय दंड सहिंता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है; भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाए।

14. किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी को गलत तरीके से बंधक बनाने के किसी भी आरोप के अभाव में, उसके खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 342 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है। जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को दिए गए बयान को शांति भंग करने के इरादे से अपमान नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार भले ही शिकायतकर्ता-मुखबिर से संबंधित बयान को पूरी तरह से सही माना जाता है, फिर भी, भारतीय दंड सहिंता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाता है।

15. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और उन अपराधों के किसी भी तत्व के अभाव में, जिनके लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, इस अदालत का विचार है कि

दिनांक 29.06.2022 के जो आदेश विद्वान् न्यायिक दंडाधिकारी रथं श्रेणी ,पलामू द्वारा शिकायत संख्या 2014/585में जरी किया गया विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां दिनांक 29.06.2022 का आदेश विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा शिकायत मामला सं .585/2014 को निरस्त किया जाए और याचिकाकर्ताओं को अलग रखा जाए।

16. तदनुसार, दिनांक 29.06.2022 का आदेश विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा शिकायत मामला सं .585/2014 को खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को अलग कर दिया गया है।

17. जहाँ तक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा दिनांक 26.02.2018 को आपराधिक संशोधन सं .97/2015 का संबंध है, वही एक हानिरहित आदेश है जहाँ तक वह उक्त आदेश के रूप में इस याचिका से संबंधित है ने किसी भी तरह से किसी भी याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 97/2015 और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2015/123 में 26.02.2018 में डाल्टनगंज के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2, पलामू द्वारा पारित सामान्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं मिलता है।

18. नतीजतन, इस आपराधिक विविध याचिका को केवल उपरोक्त सीमा तक ही अनुमति दी जाती है।

निर्णय की तिथि: 04/12/2023 (न्यायमूर्ति ,अनिल कुमार चौधरी)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया हैI